

## Single Window System to Apply for New Electricity Connection (Jhatpat Connection)

नए विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली (झटपट कनेक्शन)

This Portal facilitate users to:

यह पोर्टल उपयोगकर्ताओं को निम्न सुविधाएं प्रदान करता है:

- Apply Online for seeking New Electricity Connection in Uttar Pradesh for minimum 01 Kilowatt & maximum 500 Kilowatt load.  
उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 01 किलोवाट तथा अधिकतम 500 किलोवाट के नए विद्युत संयोजन हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- Pay the processing fee & estimated cost online.  
प्रक्रिया शुल्क तथा अनुमानित लागत का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।
- Select the dates for inspection of feasibility of site & meter installation.  
स्थल निरीक्षण तथा मीटर की स्थापना हेतु तिथि का चयन किया जा सकेगा।
- Track the status of application and get SMS alerts.  
आवेदन की स्थिति जान सकेंगे तथा एसएमएस अलर्ट की सुविधा।

S.No. क्रम संख्या	Type of Electrical Connection विद्युत संयोजन का प्रकार	Minimum Load (in KW) न्यूनतम लोड (किलोवाट)	Maximum Load (in KW) अधिकतम लोड (किलोवाट)
1.	Domestic (BPL Card Holder) घरेलू (बीपीएल कार्ड धारक)	01	01
2.	Domestic (Non-BPL) घरेलू (गैर-बीपीएल)	01	500
3.	Commercial व्यावसायिक	01	20
4.	Industrial औद्योगिक	01	20
5.	Private Institutional निजी संस्थागत	01	20
6.	Temporary अस्थायी	01	20

**Note:-** Through this portal applicants can apply for New Electricity Connection for the Load mentioned in above table. For other purposes and load, applicants can apply through Nivesh Mitra Portal (<http://niveshmitra.up.nic.in>).

**नोट:-** इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक उक्त तालिका में निर्दिष्ट लोड हेतु नए विद्युत संयोजन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्य उद्देश्यों तथा लोड हेतु आवेदक निवेश मित्र पोर्टल (<http://niveshmitra.up.nic.in>) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

## Frequently Asked Questions:-

Question/प्रश्न -	<b>What is Jhatpat Yojna? / झटपट योजना क्या है?</b>
Answer/उत्तर -	<p>Under the Jhatpat scheme, the applicant can take a new electricity connection through online service. To facilitate the applicants for applying new electricity connection, Jhatpat Connection Portal is provided on the PVVNL/UPPCL website.</p> <p>झटपट योजना के तहत, आवेदक ऑनलाइन सेवा के माध्यम से नया विद्युत कनेक्शन ले सकता है। आवेदकों को नए विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन करने की सुविधा के लिए, प०वि०वि०नि०लि०/यू०पी०पी०सी०एल० की वेबसाइट पर झटपट कनेक्शन पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।</p>
Question/प्रश्न -	<b>How to access Jhatpat Connection Portal? / झटपट कनेक्शन पोर्टल का उपयोग कैसे करें?</b>
Answer/उत्तर -	<p>To visit the Jhatpat Portal, the applicant has to visit "https://www.pvvn.org/" OR "https://www.upenergy.in/". On website, one has to visit "Apply for new electricity connection (Jhatpat Connection)" tab under "Consumer Corner".</p> <p>झटपट पोर्टल पर जाने के लिए आवेदक को "https://www.pvvn.org/" या "https://www.upenergy.in/" पर जाना होगा। वेबसाइट पर, "Consumer Corner" के तहत "Apply for new electricity connection (Jhatpat Connection)" टैब पर जाना होगा।</p>
Question/प्रश्न -	<b>What is process flow of taking new electricity connection through Jhatpat Connection Portal? / झटपट कनेक्शन पोर्टल के माध्यम से नए विद्युत कनेक्शन लेने की प्रक्रिया प्रवाह क्या है?</b>
Answer/उत्तर -	<p>The process flow is as below-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• First the applicant has to register on the portal to get login credentials.</li> <li>• After login, applicant will fill the application form with basic details such as name, address etc. He /She will also upload photo and relevant documents.</li> <li>• Applicant will submit the processing fee through online mode such as debit card/credit card/net banking or wallet. At this step, applicant will also select three dates for site inspection among the seven consecutive dates from processing fee payment date.</li> <li>• Applicant will wait for site inspection by departmental employee. Site inspection will be done on one of the dates provided by applicant. Intimation of the date will also be reflected on portal as well as on applicant's registered mobile number.</li> <li>• Once the site inspection is completed, He/she will be able to see head wise estimation cost to be paid.</li> <li>• Applicant will submit the estimation fee through online/offline mode.</li> <li>• After submitting estimation fee, applicant will confirm for readiness of site for meter installation. Here also, He/she has to select three dates for meter installation among the 14 consecutive dates from estimation cost payment date. Meter will be installed on one of the dates provided by applicant. Date of meter installation shall be intimated through SMS.</li> <li>• After installation of meter, account id of the connection will be generated and provided to applicant through portal and SMS. Detailed user manual can be downloaded from "User Manual" section provided in left panel on Dashboard.</li> </ul> <p>प्रक्रिया निम्नानुसार है -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• सबसे पहले आवेदक को लॉगिन आई० डी०/ पासवर्ड प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।</li> <li>• लॉगिन के बाद, आवेदक आवेदन-पत्र को सामान्य विवरण जैसे नाम, पता आदि के साथ भरेगा। वह फोटो और प्रासंगिक दस्तावेज भी अपलोड करेगा।</li> <li>• आवेदक डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग या वॉलेट जैसे ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रक्रिया शुल्क जमा करेगा। इस चरण में, आवेदक प्रक्रिया शुल्क भुगतान की तारीख से लगातार सात तारीखों के बीच</li> </ul>

	<p>साइट निरीक्षण के लिए तीन तिथियों का चयन करेगा।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• आवेदक विभागीय कर्मचारी द्वारा साइट निरीक्षण का इंतजार करेगा। आवेदक द्वारा प्रदान की गई तारीखों में से एक पर साइट का निरीक्षण किया जायेगा। तिथि की सूचना पोर्टल के साथ-साथ आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भी दिखाई देगी।</li> <li>• एक बार साइट का निरीक्षण पूरा हो जाने के बाद, वह भुगतान करने के लिए प्रत्येक मद के अनुसार प्राक्कलन धनराशि देखने में सक्षम होगा।</li> <li>• आवेदक ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड के माध्यम से प्राक्कलन धनराशि जमा करेगा।</li> <li>• प्राक्कलन धनराशि जमा करने के बाद आवेदक मीटर स्थापना के लिए साइट के तैयार होने की पुष्टि करेगा। यहाँ भी उसे प्राक्कलन धनराशि भुगतान की तारीख से लगातार चौदह तारीखों के बीच मीटर स्थापना के लिए तीन तिथियों का चयन करना होगा। आवेदक द्वारा प्रदान की गई तारीखों में से एक तारीख पर मीटर स्थापित किया जायेगा। मीटर स्थापना की तिथि एस० एम० एस० के माध्यम से सूचित की जाएगी।</li> <li>• मीटर की स्थापना के बाद, आवेदक को कनेक्शन की खाता आई० डी० पोर्टल और एस० एम० एस० के माध्यम से प्रदान की जाएगी। डैशबोर्ड के बाएं ओर दिए गए यूजर मैनुअल सेक्शन से विस्तृत यूजर मैनुअल डाउनलोड किया जा सकता है।</li> </ul>
<b>Question/प्रश्न -</b>	<b>What are the benefits of Jhatpat Yojna? / झटपट योजना के क्या लाभ हैं?</b>
<b>Answer/उत्तर -</b>	<p>Under this scheme, the applicant can get a new electricity connection easily and quickly. Following are the benefits of Jhatpat Scheme/Facilities provided on Jhatpat Connection Portal-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicant need not to visit electricity office. Overall process can be completed in online mode which includes online filling of application form, uploading necessary documents, payment of processing fee and estimation cost.</li> <li>• Applicant can provide three dates of his/her choice for site inspection visit as well as for meter installation through online portal. Departmental employee shall visit the applicant's premises on one of the three dates provided by applicant.</li> <li>• Applicant can track his/her application at each step through portal.</li> <li>• Applicant is able to see timelines for completion of each step as set by department.</li> <li>• After completion of each step, an SMS/email is sent to applicant's mobile number/email id.</li> </ul> <p>इस योजना के तहत, आवेदक आसानी से एवं उचित समय में नया विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर सकता है। झटपट कनेक्शन पोर्टल पर दी जाने वाली सुविधाओं के लाभ निम्नलिखित हैं-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• आवेदक को विद्युत कार्यालय पर जाने की आवश्यकता नहीं है। समग्र प्रक्रिया को ऑनलाइन मोड में पूरा किया जा सकता है, जिसमें आवेदन पत्र भरना, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना, प्रक्रिया शुल्क एवं प्राक्कलन धनराशि का भुगतान करना शामिल है।</li> <li>• आवेदक इस पोर्टल के माध्यम से साइट निरीक्षण एवं मीटर स्थापना के लिए अपनी पसंद की तीन तिथियां प्रदान कर सकता है। विभागीय कर्मचारी आवेदक द्वारा चयनित तीन तिथियों में से किसी एक तिथि पर आवेदक के परिसर का दौरा करेगा।</li> <li>• आवेदक इस पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक चरण में अपने आवेदन की स्थिति देख सकता है।</li> <li>• आवेदक विभाग द्वारा प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए तय की गई समयसीमा देखने में सक्षम है।</li> <li>• प्रत्येक चरण के पूरा होने के पश्चात्, आवेदक के मोबाइल नंबर/ईमेल आई० डी० पर एस० एम० एस०/ईमेल भेजा जाता है।</li> </ul>
<b>Question/प्रश्न -</b>	<b>What are the requirements for registration on this portal? / इस पोर्टल पर पंजीकरण के लिए क्या आवश्यकताएं हैं?</b>
<b>Answer/उत्तर -</b>	<p>Applicant's Name, Date of Birth, Email ID (optional), Mobile No.</p> <p>आवेदक का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आई० डी० (वैकल्पिक), मोबाइल नंबर।</p>

<b>Question/प्रश्न -</b>	<b>Which type of connection and up to how much kilowatts of connection can an applicant take under this scheme? / इस योजना के तहत, किस प्रकार का व कितने किलोवाट तक का कनेक्शन लिया जा सकता है?</b>
<b>Answer/उत्तर -</b>	Through this portal applicant can apply for New Electricity Connection of 1 KW to 500 KW Load for Domestic and 1 KW to 20 KW Load for Commercial/Industrial/Government Institutional / Temporary purposes only. For 1 KW of connection, BPL and non BPL users both can apply. इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक केवल घरेलु उद्देश्य के लिए 1 किलोवाट से 500 किलोवाट एवं वाणिज्य/आद्यौगिक/सरकारी-संस्थागत/अस्थायी उद्देश्यों के लिए 1 किलोवाट से 20 किलोवाट के नए विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है। 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए बीपीएल एवं गैर बीपीएल उपयोगकर्ता, दोनों ही आवेदन कर सकते हैं।
<b>Question/प्रश्न -</b>	<b>How to pay processing fees? / प्रक्रिया शुल्क का भुगतान कैसे करें?</b>
<b>Answer/उत्तर -</b>	Applicant can pay the processing fee through online mode only e.g. debit card/credit card/net-banking etc. आवेदक ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही प्रक्रिया शुल्क का भुगतान कर सकता है, जैसे डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग इत्यादि।
<b>Question/प्रश्न -</b>	<b>How to pay estimation cost? / प्राक्कलन धनराशि का भुगतान कैसे करें?</b>
<b>Answer/उत्तर -</b>	Applicant can pay estimation cost through online as well as offline mode. In online mode, payment can be done through debit card/credit card/net banking/wallet etc. In offline mode, payment can be done through Demand draft/Cheque. Applicant need to upload the copy of DD/Cheque. Department (concerned division) shall verify the payment details (offline mode). Only after verification, the payment shall be considered completed. आवेदक ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से प्राक्कलन धनराशि का भुगतान कर सकता है। ऑनलाइन मोड में भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/वॉलेट आदि के माध्यम से किया जा सकता है। ऑफलाइन मोड में भुगतान, डिमांड ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक को डी० डी०/चेक की प्रति अपलोड करनी होगी। विभाग (सम्बंधित प्रभाग) भुगतान विवरण (ऑफलाइन मोड) का सत्यापन करेगा। सत्यापन के बाद ही भुगतान पूरा माना जायेगा।
<b>Question/प्रश्न -</b>	<b>Which documents need to be uploaded for new connection? / नए कनेक्शन के लिए कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे?</b>
<b>Answer/उत्तर -</b>	In application form, document for id proof (Aadhar Card/Driving License/PAN Card/Passport/Ration Card/Voter ID) and House occupancy proof (House Registry/House Allotment Letter/House Tax Receipt/Rent Agreement) is required. In case of rent agreement, NOC/Indemnity bond is also required. Work Completion Certificate/B&L form (Electrical Fitting Certificate) is also required to be uploaded. In case of domestic connection, a self-certified declaration form can be submitted in place of B&L form. The format of self-declaration can be downloaded itself from the section where the document is uploaded. If the applicant belongs to BPL category, BPL card is also required to be uploaded. आवेदन-पत्र में पहचान प्रमाण-पत्र (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/पासपोर्ट/राशन कार्ड/वोटर आई० डी० कार्ड) एवं भवन कब्जा प्रमाण-पत्र (भवन की रजिस्ट्री/भवन आवंटन-पत्र/गृह कर की रसीद/किरायानामा) के लिए दस्तावेज आवश्यक हैं। किरायानामा के साथ अनापत्ति/क्षतिपूर्ति बंध-पत्र भी आवश्यक है। कार्यपूर्ति का प्रमाण-पत्र/बी० एन्ड एल० फार्म (इलेक्ट्रिकल फिटिंग सर्टिफिकेट) भी अपलोड करना आवश्यक है। घरेलु कनेक्शन हेतु बी० एन्ड एल० फार्म के स्थान पर स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र अपलोड किया जा सकता है। स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र का प्रारूप उसी खंड से प्राप्त किया जा सकता है जहाँ दस्तावेज अपलोड किया जाना है। यदि आवेदक बीपीएल श्रेणी का है तो बीपीएल कार्ड भी अपलोड किया जाना आवश्यक है।
<b>Question/प्रश्न -</b>	<b>How to check the status of the application process after applying online? / ऑनलाइन आवेदन</b>

	<b>करने के बाद आवेदन प्रक्रिया की स्थिति की जाँच कैसे करें?</b>
Answer/उत्तर -	Applicant can track the status of the application on Jhatpat Portal through login with registered mobile number and password and will get SMS alerts too. आवेदक झटपट पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकता है, साथ ही साथ उसे समय-समय पर एस०एम०एस० भी प्राप्त होंगे।
Question/प्रश्न -	<b>How many connections an applicant can apply with one mobile number? / एक आवेदक एक मोबाइल नंबर से कितने विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन कर सकता है?</b>
Answer/उत्तर -	Applicant can apply many Connections with One Mobile number. एक आवेदक एक मोबाइल नंबर से कई विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन कर सकता है।
Question/प्रश्न -	<b>If applicant is having issue in applying, then whom to contact for help?</b> यदि आवेदक को आवेदन करने में समस्या हो रही है, तो मदद के लिए किससे संपर्क करें?
Answer/उत्तर -	Applicant can call to the electricity department's helpline number 1912 for assistance/issue resolution and for suggestion. आवेदक सहायता/समस्या समाधान/सुझाव के लिए विद्युत विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1912 पर कॉल कर सकता है।
Question/प्रश्न -	<b>What if department needs any clarification from the applicant? OR What is Query? / क्या होगा यदि विभाग को आवेदक से कोई स्पष्टीकरण चाहिए? या "क्वेरी" क्या है?</b>
Answer/उत्तर -	Department will raise query through the portal to take any type of clarification from applicant in case the application lacks information/required documents. Applicant has to reply to query within 7 days. If the applicant does not reply to the query within time, the department has right to reject the application. If necessary then supporting document will also be uploaded in response to query. यदि आवेदन में जानकारी/आवश्यक दस्तावेजों का अभाव है, तो विभाग आवेदक से किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण लेने के लिए पोर्टल के माध्यम से प्रश्न पूछेगा। आवेदक को सात दिनों के भीतर प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि आवेदक उचित समयानुसार प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, तो विभाग के पास आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है। यदि आवश्यक हो तो प्रश्न के उत्तर में सहायक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।